

नस्लीय समानता के प्रोत्साहन पर

मौजूदा और नियोजित उपाय

प्रतिस्पर्धा आयोग

प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अध्यादेश (कैप. 619) (अध्यादेश) के तहत स्थापित किया गया है। आयोग को एक प्रतिस्पर्धी वातावरण को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है जो व्यापार के मुक्त प्रवाह, दक्षता और नवाचार के लिए अनुकूल हो, इसलिए यह उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और वस्तुओं तथा सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता और कीमतों को लाता है। आयोग जनता की नस्लीय पृष्ठभूमि के बावजूद सभी सदस्यों द्वारा अपनी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्व देता है।

(A) जनता की शिकायतें

सम्बंधित सेवाएं अध्यादेश के संभावित उल्लंघन की पहचान करने के लिए आयोग को शिकायत करने के लिए जनता के लिए चैनल प्रदान करना।

मौजूदा उपाय कोई भी व्यक्ति जो शिकायत करना चाहता है, वह आयोग से फोन / पोस्ट / ईमेल / ऑनलाइन शिकायत फार्म / व्यक्तिगत रूप (केवल अपॉइंटमेंट द्वारा) से संपर्क कर सकता है। उपरोक्त चैनलों में चीनी और या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है।

जहां आवश्यक और उचित होगा वहां भाषा सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी।

भविष्य के काम का आकलन जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोग समय समय पर उपायों की समीक्षा करेगा।

अतिरिक्त लिये गये / लिये जाने वाले उपाय आयोग उन उपयोगकर्ताओं, जिन्हें व्याख्या / अनुवाद सेवाओं की आवश्यकता है, के बारे में "व्याख्या / अनुवाद सेवाओं की आवश्यकता" और "पसंदीदा भाषा" की जानकारी एकत्र करेगा, ताकि नस्लीय समानता पर हमारी नीतियों और उपायों के प्रभाव का आकलन हो सके, और सेवा के निरंतर सुधार को सक्षम बनाया जा सके।

(B) प्रतिस्पर्धा अध्यादेश को बढ़ावा देना

सम्बंधित सेवाएं प्रतिस्पर्धा के मूल्य, और अध्यादेश कैसे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियान और अन्य पहल करना।

मौजूदा
उपाय

शिक्षा सामग्री (जैसे पत्रक, विवरणिका और दिशानिर्देश) और अभियानों की जानकारी चीनी और अंग्रेजी में दी गई है।

अध्यादेश पर सेमिनार और विवरण का आयोजन कैटोनीज और अंग्रेजी में किया जाता है।

आयोग की वेबसाइट पर चीनी और अंग्रेजी में कानून और मार्गदर्शन, परामर्श और सार्वजनिक रजिस्टर आदि जैसी जानकारी उपलब्ध है।

भविष्य के काम का आकलन

आयोग उपरोक्त उपायों की समीक्षा करेगा और आवश्यकता अनुसार उन्हें बढ़ाएगा।

(C) कर्मचारी प्रशिक्षण

सम्बंधित

आयोग के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

सेवाएं

मौजूदा

मानव संसाधन विभाग के कर्मचारी काम पर नस्ल संबंधी मुद्दों की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए हर दो साल में नस्लीय भेदभाव के मुद्दों पर प्रशिक्षण में भाग लेते हैं।

उपाय

भविष्य के काम का आकलन

कार्यस्थल पर नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए आयोग नियमित रूप से अपनी प्रशिक्षण नीति का आकलन और समीक्षा करेगा।

अतिरिक्त लिये गये लिये /
जाने वाले उपाय

आयोग काम पर नस्लीय भेदभाव के मुद्दों की अपनी समझ को मजबूत करने के लिए आयोग के सभी कर्मचारियों को जाति से संबंधित मुद्दों पर तदनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता के लिए समान अवसर आयोग से संपर्क करेगा।

आयोग नियमित रूप से सांस्कृतिक जागरूकता और विविधता के मुद्दों पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित और नामांकित करेगा ताकि विभिन्न नस्लीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में स्टाफ की समझ और इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी सेवाओं को बढ़ाया जा सके।

पूछताछ के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से प्रशासन अधिकारी, सुश्री अन्ना युंग से संपर्क करें –

टेलीफोन : 2118 3462

फैक्स : 25224997

ईमेल : enquiry@compcomm.hk

डाक का पता : एफ / 19, साउथ आइलैंड प्लेस, 8 वोंग चुक हांग रोड,
वोंग चुक हांग, हांगकांग

Postal address 19/F, South Island Place, 8 Wong Chuk Hang Road,
(Eng) : Wong Chuk Hang, Hong Kong

प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission)
जून 2021